राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और जमीन के अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना बनाने का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने एवं राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयासों में सहायता कर रही है ।

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 21 प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और 501.53 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 3662.84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना और भू-राजस्व प्रणाली को आधुनिक बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

उत्तर प्रदेश में फालतू जमीन का वितरण

1779. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदालतों में कई मुकदमे लम्बित रहने के कारण उत्तर प्रदेश में फ़ालतू जमीन के वितरण का कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा है, यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में क्या निर्देश दिए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश शासन ने इन निर्देशों का कहां तक पालन किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा जून 1992 के अन्त तक भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा से फ़ालतू भूमि का 128915 एकड़ क्षेत्र मुकदमेबाजी में फंसा हुआ था ।

भूमि और इसका प्रबंध राज्य का उत्तरदायित्व है । केन्द्र सरकार की भूमिका समन्वयकारी और परामर्श देने की है । तथापि केन्द्र सरकार अधिकतम सीमा से फ़ालतू भूमि से संबंधित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उचित प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर राज्यों को परामर्श देती रही है ।

मार्च 1992 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों के सम्मुख मुकदमेबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि के मामलों का निपटान करके रिलीज कराया जाना चाहिए और रिलीज कराई गई ऐसी भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को तदनुसार कदम उठाने का परामर्श दिया गया है ।